न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 100/2021 **दायरा दिनांक : 16.08.2021**

उनवान

पुष्पाबाई आयु 65 वर्ष पुत्री मांगीलाल पत्नी पांचूलाल, जाति मीणा, निवासी काजलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कंवरलाल पुत्र अमरा

2– दानमल पुत्र अमरा

3– फूलचन्द पुत्र अमरा

अकवाम जाति मीणा, निवासी ग्राम उनी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क प्राधिकरण 90, जर्ये उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

6– शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.07.2021 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा जिससे वाद संख्या 49/प्रार्थना पत्र/2018 वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए वाद वादी अस्थायी निषेधाज्ञा बन्द की जाती है तथा वादनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय **दिनांक : 30.01.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

2 विवादित आराजी ग्राम ऊनी, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी नम्बर 16 पुरानी 15 की खसरा नम्बर 145 की 14.09 बीघा, खसरा नम्बर 197 की 1.01 बीघा, खसरा नम्बर 288 की 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 289 की 15.03 बीघा, खसरा नम्बर 291 की 1.09 बीघा, खसरा नम्बर 363 की 3.17 बीघा, खसरा नम्बर 367 की 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 368 की 12.03 बीघा, खसरा नम्बर 369 की 3.03 बीघा कुल खसरा नम्बर 10 किता की 53.14 बीघा आराजी स्थित है जो अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 के पृथक पृथक खाते दर्ज है। जिसका

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

इन्द्राज प्रस्तुत जमाबंदी के कालम नम्बर 11, 12 में दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2070–2073 पेश है।

3 यह कि इसी प्रकार ग्राम ऊनी, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी नम्बर 15 पुरानी 14 की खसरा नम्बर 143 की 0.15 बीघा आराजी स्थित है, जिसमें से 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के खाते दर्ज है व हिस्सा 1/2 प्रार्थिया के स्वर्गीय पिता मांगीलाल वल्द भैरू के खाते दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 पेश है।

4 यह कि इसी प्रकार ग्राम ऊनी, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी नम्बर 113 पुरानी 114 की खसरा नम्बर 418/62 की 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 433/144 की 0.10 बीघा कुल 2 किता की 2.04 बीघा आराजी प्रार्थिया के पिता स्वर्गीय मांगीलाल वल्द बक्शू मीना के खातेदारी की स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2070–73 पेश है।

5 यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज था व हिस्सा 1/2 प्रार्थिया के पिता मांगीलाल पुत्र भैरू बक्श के खाते दर्ज था। जिसमें से मांगीलाल ने खसरा नम्बर 145, 363, 367, 368, 369 की कुल 33.18 बीघा आराजी में स्थित अपना 1/2 हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया था। जिसका नामा0 नम्बर 223 दिनांक 04.05.2000 अप्रार्थीगण के पक्ष में खुल गया है तथा शेष खसरा नम्बर 197, 288, 289, 291, 362 की कुल 19.16 बीघा आराजी शेष रही थी, जिसमें प्रार्थिया के पिता स्वर्गीय मांगीलाल का 1/2 हिस्सा था, जो लगभग 9.18 बीघा आराजी बनती है। नकल जमाबंदी ग्राम उनी संवत 2058–61 तक की पेश है।

6 यह कि प्रार्थिया के स्वर्गीय पिता मांगीलाल के पिता को दो नामों से जाना जाता है। जिसमें प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 में प्रार्थिया

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

के पिता का नाम मांगीलाल पुत्र भैरू बक्श दर्ज है तथा प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 वर्णित आराजी में मांगीलाल पुत्र बक्शू दर्ज है जो कि भैरू व बक्शू एक ही व्यक्ति है।

7 यह कि प्रार्थिया के पिता मांगीलाल का देहान्त हो गया है तथा प्रार्थिया के पिता का देहान्त होने पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने चालाकी पूर्ण तरीके से ग्राम पंचायत तुरकाडिया से मिलकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से को वसीयत के आधार पर नामा0 नम्बर 229 दिनांक 06.10.2000 को तस्दीक करवा लिया जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से की शेष आराजी खसरा नम्बर 197, 288, 289, 291, 362 की कुल 19.16 बीघा आराजी का 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। जबकि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 वर्णित आराजी में आज भी मांगीलाल पुत्र भैरू बक्श का नाम चला आ रहा है तथा ग्राम पंचायत के द्वारा खोला गया इंतकाल नम्बर 229 दिनांक 06.10.2000 कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कारण नामा0 229 प्रार्थिया के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर होने से निरस्त होने योग्य है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 को भी नामा0 नं. 229 के आधार पर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में वर्णित मांगीलाल के हिस्से की आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

8 यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में शेष बची आराजी 197, 288, 289, 291, 362 की कुल 19.16 बीघा आराजी का 1/2 भाग जो स्वर्गीय मांगीलाल का शेष बचा था व इसी प्रकार पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में स्वर्गीय मांगीलाल के हिस्से की खसरा नम्बर 143 की 0.15 बीघा जमीन में हिस्सा 1/2 व प्रार्थना पत्र की मद नं. 3

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 418/62 की 1.14 बीघा व खसरा नम्बर 433/144 की 0.10 बीघा कुल 2 किता की 2.04 बीघा आराजी इस प्रकार उपरोक्त तीनों खाते की आराजी को प्रार्थना पत्र अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

9 यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 143 की 0.15 बीघा जमीन को अप्रार्थी नं. 4 ने अधिग्रहण कर लिया है। जिसमें मांगीलाल के हिस्से की 1/2 भाग मुआवजा राशि का चेक मांगीलाल के नाम बनकर आ गया है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 नामा0 229 के आधार पर उक्त मांगीलाल के हिस्से की आराजी पर अपना नाम चढवाकर मुआवजा राशि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण प्रार्थिया अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व 5 नामा0 नम्बर 229 के आधार पर प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 में वर्णित आराजी को अप्रार्थीगण अपने खाते दर्ज नहीं करावे व अप्रार्थी नं. 5 दर्ज नहीं करें व अप्रार्थी नम्बर 4 प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से की आराजी का मुआवजा अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 3 को वितरित नहीं करें व प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में मांगीलाल के खाते की आराजी जो नामान्तरकरण नं. 229 के आधार पर अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 ने अपने खाते दर्ज कराई है उसके रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

10 यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.10.2018 को प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी नम्बर 1 ता0 3 से प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को अपने खाते दर्ज कराने की कहने पर एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 में वर्णित आराजी को नामा0 229 के आधार पर अपने खाते दर्ज न कराने की कहने पर एवं मुआवजा प्राप्त नहीं करने की कहने पर उनके द्वारा असहमति व्यक्ति करने पर उत्पन्न हुआ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 418/62 की 1.14 बीघा व खसरा नम्बर 433/144 की 0.10 बीघा कुल 2 किता की 2.04 बीघा आराजी इस प्रकार उपरोक्त तीनों खाते की आराजी को प्रार्थना पत्र अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

9 यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 143 की 0.15 बीघा जमीन को अप्रार्थी नं. 4 ने अधिग्रहण कर लिया है। जिसमें मांगीलाल के हिस्से की 1/2 भाग मुआवजा राशि का चेक मांगीलाल के नाम बनकर आ गया है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 नामा0 229 के आधार पर उक्त मांगीलाल के हिस्से की आराजी पर अपना नाम चढवाकर मुआवजा राशि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कारण प्रार्थिया अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व 5 नामा0 नम्बर 229 के आधार पर प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 में वर्णित आराजी को अप्रार्थीगण अपने खाते दर्ज नहीं करावे व अप्रार्थी नं. 5 दर्ज नहीं करें व अप्रार्थी नम्बर 4 प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से की आराजी का मुआवजा अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 3 को वितरित नहीं करें व प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में मांगीलाल के खाते की आराजी जो नामान्तरकरण नं. 229 के आधार पर अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 3 ने अपने खाते दर्ज कराई है उसके रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे।

10 यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.10.2018 को प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी नम्बर 1 ता0 3 से प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी को अपने खाते दर्ज कराने की कहने पर एवं प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 में वर्णित आराजी को नामा0 229 के आधार पर अपने खाते दर्ज न कराने की कहने पर एवं मुआवजा प्राप्त नहीं करने की कहने पर उनके द्वारा असहमति व्यक्ति करने पर उत्पन्न हुआ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

11 अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व 4 एवं 5 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद की मद नं. 1 व 4 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 197, 288, 289, 291, 362 की कुल 19.16 बीघा आराजी का 1/2 भाग आराजी जो मांगीलाल की थी, के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । रहन, बेचान न करें व प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 में वर्णित आराजी को नामा. नं. 229 के आधार पर अपने खाते दर्ज नहीं करावे व प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से की आराजी का मुआवजा प्राप्त नहीं करें व अप्रार्थी नं. 4 वाद की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से के मुआवजे का वितरण अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 3 को नहीं करें व अप्रार्थी नम्बर 5 नामान्तरकरण नं. 229 के आधार पर वाद की मद नं. 2 व 3 में वर्णित आराजी का इंतकाल अप्रार्थीगण के पक्ष में तस्दीक नहीं करें व अमल दरामद नहीं करें।

12 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

13 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। प्रस्तुत बहस व प्रकरण का अवलोकन किया गया। वकील वादी का कथन है कि ग्राम उनी की खाता संख्या 16 की कुल किता 10 की 53.14 बीघा आराजी अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 3 व खाता संख्या 15 की खसरा नम्बर 143 की 0.10 बीघा में 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण 2 ता 3 व 1/2 हिस्सा प्रार्थिया के स्वर्गीय पिता मांगीलाल वल्द भैरू व इसी प्रकार खाता संख्या 113 की खसरा नम्बर 418/62 की 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 433/144 की 0.10 कुल 2 किता की 2.04 बीघा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

आराजी प्रार्थिया के पिता स्वर्गीय मांगीलाल वल्द बक्शू मीना के खातेदारी में स्थित है।

14 प्रार्थना पत्र में अंकित खाता संख्या 16 की आराजी में अप्रार्थी का 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थिया के पिता मांगीलाल के खाते दर्ज 1/2 हिस्सा था जिसमें से मांगीलाल के खसरा नम्बर 145, 363, 369 की कुल 33.18 बीघा आराजी में स्थित अपना 1/2 हिस्सा अप्रार्थी की 1 लगायत 3 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया था जिसका नामा. नम्बर 223 दिनांक 4.5.2000 अप्रार्थीगण के पक्ष में खुल गया है तथा शेष खसरा नम्बर 197, 288, 289, 291, 362 की कुल 19.16 बीघा आराजी शेष रही जिसमें प्रार्थिया के पिता स्वर्गीय मांगीलाल का 1/2 हिस्सा था।

15 प्रार्थिया के पिता मांगीलाल का देहान्त हो गया है। देहान्त होने के बाद अप्रार्थी 1 ता 3 ने चालाकी पूर्ण तरीके से ग्राम पंचायत से मिलकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से का वसीयत के आधार पर नामा. 229 दिनांक 06.10.2000 को तस्दीक करवा लिया जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से की शेष आराजी कुल 19.16 बीघा का 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया। जबकि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 व 3 वर्णित आराजी में प्रार्थिया के पिता मांगीलाल का नाम चला आ रहा है। इंतकाल नं. 229 कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए निरस्त योग्य है।

16 प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में शेष बची आराजी 197, 288, 289, 291, 362 की 19.16 बीघा आराजी का 1/2 भाग जो मांगीलाल का शेष बचा था व खसरा नम्बर 143 में 1/2 हिस्सा व मद नं. 3 की कुल 2 किता की 2.04 बीघा आराजी प्रार्थिया अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 143 की 0.15

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बीघा आराजी एन.एच.–90 में अधिग्रहण कर लिया है जिसमें मांगीलाल के हिस्से की 1/2 भाग मुआवजा राशि का चेक मांगीलाल के नाम बन गया तथा अप्रार्थीगण नामा0 229 के आधार पर उक्त मांगीलाल के हिस्से की आराजी पर अपना नाम चढवाकर मुआवजा राशि प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इस कारण प्रार्थिया अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारिणी है। इस बाबत अप्रार्थी को एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 14.11.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण के जवाब तलब किया गया इस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा व्यक्त किया कि मृतक मांगीलाल वृद्ध अवस्था में अप्रार्थी के पास रहता था तथा उसकी देख रेख, सेवा व अन्तिम संस्कार सभी अप्रार्थीगण द्वारा किया गया।

17 मांगीलाल ने अप्रार्थीगण की सेवा से प्रसन्न होकर अपनी सम्पित्त की वसीयतनामा दिनांक 14.06.2000 करा दिया गया था जिसके आधार पर ही इन्तकाल नं. 229 खोला गया जो वैधानिक रूप से सही है। वसीयतनामा दिनांक 14.06.2000 को मांगीलाल द्वारा अप्रार्थीगण 2 ता 3 के पक्ष में कर दिये जाने से मांगीलाल का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। इस कारण प्रार्थिया किसी भी आराजी को अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण वसीयतनामा के आधार पर अधिग्रहण आराजी खसरा नम्बर 143 की 0.15 बीघा आराजी अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है एवं मुआवजा राशि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

18 प्रार्थिया का वर्णित आराजी से संबंधित बनामा रजि0 दिनांक 22.04.2000 तथा वसीयतनामा दिनांक 14.06.2000 को अपास्त करने बाबत दीवानी वाद संख्या 3/2001 अपर जिला न्यायाधीश अकलेरा के यहां प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 30.05.2003 को खारिज कर दिया है तथा न्यायालय द्वारा वसीयतनामा को निरस्त नहीं किया है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

वसीयतनामा व नामा0 को सही माना है। इस नामा0 से वसीयतनामा के आधार पर ग्राम उनी की खसरा नम्बर 197, 288, 289, 291, 362 की 19.16 बीघा में से मांगीलाल के हिस्से की 1/2 भाग आराजी अप्रार्थीगण 1 ता 3 के खाते दर्ज कर दी, परन्तु मद नं. 2 व 3 में वर्णित आराजी सहवन से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज होने से रह गयी है। इस कारण अप्रार्थीगण मद 2 व 3 में वर्णित आराजी के इंतकाल नं. 229 का अमल जमाबंदी में कराने के अधिकारी हैं।

19 वकील प्रतिवादी के जवाब का उत्तर देते हुए वकील वादी द्वारा बताया गया कि वसीयत के संबंध में माननीय अपर जिला न्यायाधीश अकलेरा के दीवानी प्रकरण निर्णय 30.05.2003 की अपील माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है। जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील 2008 में खारिज होना व पुनः अपील नम्बर में नहीं आना जाहिर किया गया है।

20 पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व बहस अधिवक्तागण सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि वसीयतनामा 14.06.2000 माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय अकलेरा में दीवानी वाद के निर्णय दिनांक 30.05.2003 को सही माना है तथा खारिज नहीं किया गया है । वर्तमान में उक्त वसीयतनामा प्रचलन में जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है जिसमें उक्त वसीयतनामा के आधार पर नामा. संख्या 229 का अमल के आधार पर मांगीलाल के हिस्से की शेष आराजी अप्रार्थीगण के खाते लगाया जाना रोकना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रकरण में दिनांक 14.11.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। वादिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रा0 पत्र मूल वाद में सलंग्न रहे। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि–

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

22 यह कि निर्णय योग्य अधीनस्थ यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

23 यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हक में जारी किया गया अंतरिम आदेश दिनांक 14.11.2018 बन्द कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट खारिज करने में त्रुटि की है।

24 यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 212 रा.टी.एक्ट निर्णित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 के प्रावधानों की ओर उचित गौर नहीं फरमाया । प्रथम दृष्टया केस, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया।

25 यह कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी में अपीलांट के पिता मांगीलाल पुत्र भैरू का 1/2 हिस्सा था एवं 53 बीघा 14 बिस्वा वाली आराजी में से अपीलांट के पिता मांगीलाल ने खसरा नम्बर 145, 363, 367, 368, 369 की कुल 33 बीघा 18 बिस्वा आराजी में अपना 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट 1 लगायत 3 को जर्ये विक्रय पत्र बेचान कर दिया शेष अन्य खसरा नम्बर 197, 288, 289, 291, 362 की कुल 19 बीघा 16 बिस्वा शेष आराजी रही थी, जिसमें वादिनी के पिता मांगीलाल का 1/2 हिस्सा था, अर्थात जो करीब 9 बीघा 18 बिस्वा बनता है।

26 यह कि वादिनी के पिता मांगीलाल का देहान्त हो जाने के पश्चात रेस्पोडेंट 1 लगायत 3 ने चालाकी पूर्ण तरीके से मांगीलाल के द्वारा अपने हक में तथाकथित वसीयत बताकर वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत से अपने हक में उक्त शेष बची आराजी का नामान्तरकरण नं. 229 दिनांक 06.10.2000 अपने हक में तस्दीक करवा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

लिया जो अवैधानिक है, कानूनन ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं है।

27 यह कि अपीलांट का पिता मांगीलाल फौत हो चुका है उसने कभी भी रेस्पोडेंट के हक में वसीयत आलेखित नहीं की गई। वसीयत के आधार पर रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 3 को नियमित वाद पेश करना चाहिए था जो नहीं किया गया। कानूनन वसीयत को दो गवाह से साबित किया जाना आवश्यक है, जो नहीं किया गया। अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता।

28 यह कि अपीलांट मांगीलाल खातेदार की पुत्री है जो निर्विवाद है। मांगीलाल के कोई पुत्र नहीं होने से कानूनन मांगीलाल के द्वारा विक्रय की गई शेष आराजी के अलावा उक्त वर्णित शेष आराजी जो बची है। एक मात्र हकदार वादिनी है और मांगीलाल के हिस्से की शेष आराजी पर खातेदार घोषित होने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस साबित था एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो अवैधानिक है।

29 अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 22.07.2021 निरस्त फरमाया जावे एवं दिनांक 14.11.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश कन्फर्म किया जावे। प्रार्थना पत्र 212 रा. टी. एक्ट स्वीकार फरमाया जावे।

30 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

31 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

- आर. एल. डब्ल्यू. 2001 वोल्यू(1) राज. पेज 131 से 133
- आर. आर. डी. 2010 पेज 184 से 189

32 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ।

33 अधीनस्थ न्यायालय के वाद पत्र के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार प्रार्थिया के पिता मांगीलाल का देहान्त हो जाने पर ग्राम पंचायत तुरकाडिया ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 व 4 में वर्णित आराजी में मांगीलाल के हिस्से को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 06.10.2000 को तस्दीक करवा लिया। ग्राम पंचायत के द्वारा खोला गया इंतकाल नंम्बर 229 दिनांक 06.10.2000 कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जो नामान्तरकरण खोला गया है वह विधि विरूद्ध है।

34 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2021 अपास्त किया जाता है तथा पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

35 निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.1.2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा